न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (RAS)

राजस्व वाद संख्या 97/2019 **RCMS 2019/00172**

वादीगण

1. गोरधन पुत्र गोपालराम जाति मेघवंशी उम्र 60 साल निवासी मांगलोदी तहसील कुचामनसिटी
2. नारायण पुत्र गोपालराम जाति मेघवंशी उम्र 58 साल निवासी मांगलोदी तहसील कुचामनसिटी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. ईश्वरराम पुत्र नाथूराम
2. पूर्णमल पुत्र नाथूराम
3. मेगादेवी पत्नी नाथूराम
4. राजूराम पुत्र नाथूराम
5. हरिराम पुत्र नाथूराम समस्त जाति मेघवंशी निवासी मांगलोदी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
6. उप पंजीयक कुचामनसिटी
7. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी

दावा इस्तकरार हक व भू–विभाजन स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88 R.T.Act1955

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर वादीगण की ओर से।

श्री भीकमचन्द अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 से 5 की ओर सें

निर्णय

दिनॉक :– 6/3/2020

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम मांगलोदी तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 139 रकबा 1.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 271/139 रकबा 0.01 हैक्टर भूमि वादीगण की कब्जा काश्त अधिकारो की चली आ रही है, उपरोक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 139, 271/139 कुल रकबा 1.04 हैक्टर व 140, 141, 179, 180, 181 कुल रकबा 5.58 हैक्टर भूमि वादी व प्रतिवादीगणो की शामलाती सह खातेदारों की दर्ज चली आ रही है, जिसका भू–विभाजन का वाद न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी मे दिनॉक 28.02.2018 को भू–विभाजन कर वाद का उक्त खसरा नम्बरों की भूमि का निर्णय किया गया, जिसमें खसरा नम्बर 139 271/139 दर्ज टाईप होने से छूट गया, जबकि यह भूमि उसी वाद पत्र में वर्णित भूमि का हिस्सा था, उपरोक्त कृषि भूमि का पूर्व में पारति निर्णय की पालना सुनिश्चित हो जोन के बाद यह भूमि खसरा नम्बर 139, 271/139 कावाद पत्र भू–विभाजन का लाना आवश्यक हुआ है जिसका वादीगण हकदार है उपरोक्त भूमि सम्पूर्ण हम वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 5 की पैतृक हक अधिकारों की चली आ रही है, व उक्त भूमि खसरा नम्बर 139, 271/139 रकबा 1.04 हैक्टर वादीगण के हक हिस्से व बंट में आई हुई है जिस पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है व प्रतिवादीगण को खसरा नम्बर 140, 141, 179, 180, 181, में से खसरा नम्बर 140 141 प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के खाते में दर्ज हो गया, इस प्रकार उक्त भूमि खसरा नम्बर 139, 271/139 में वादी के अलावा प्रतिवादीगण का कोई हिस्सा शेष नहीं रहा है, उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 139, 271/139 कुल रकबा 1.04 हैक्टर भूमि वादीगण के बंट में आई हुई है जिसका मुताबिक डिक्री के वादीगण के नाम खाता भी अलग हो गया है व गलती से खसरा नम्बर 139, 271/139 कुल रकबा 1.04 हैक्टर वाद पत्र में टाईप होने से छूट गया था जो भूमि हमारे भाई बंटवारा में वादी के बंट में

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 13:21:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

बंटवारा में आई हुई है, जिसमें प्रतिवादीगणों का कोई हिस्सा शेष नही रहा है, उक्त भूमि वादीगण अपने नाम दर्ज कराने के हकदार है, उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 139, 271/139 रकबा 1.04 हैक्टर भूमि में वादीगण के नाम दर्ज कर प्रतिवादीगणों के नाम हटाया जाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है इसलिये खातेदारी अधिकारो व भू–विभाजन का वाद लाना आवश्यक हुआ है जिसके वादीगण हकदार है, बिनाय दावा 15.11.2019 को नकल खतौनी प्राप्त करने पर उक्त भूमि की जानकारी होने पर उक्त भूमि की रिपोर्ट दुरूस्ती हेतु पटवारी हल्का से कहा तो उन्होने न्यायालय आदेश से सही किया जाना अवगत कराया, वादीगण की इस्तदुआ है कि ग्राम मांगलोदी तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 139 रकबा 1.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 271/139 रकबा 0.01 हैक्टर कुल रकबा 1.04 हैक्टर वादीगण ब–हिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज कर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 का नाम हटाया जाने का आदेश तहसीलदार कुचामनसिटी को प्रदान करावे।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने उपस्थित होकर वाद को स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया, प्रतिवादी संख्या 6 से 7 के सम्मन तलब होकर प्राप्त हुये बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण की ओर से पूर्व वाद निर्णय की छाया प्रति, जमाबंदी नकल सम्वत 2010–2013, 2014–2017, 2018–2021, 2022–2025, 2026–2029, 2030–033, 2037–2040, 2041–2044, 2071–2074, 2075–2078, नक्शा ट्रेस की नकल प्रस्तुत की है। प्रतिवादी सं. 1 से 5 ने इकबाली जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि पूर्व वाद पत्र में खसरा नम्बर 139, 271/139 गलती से टाईप में छूट गया था खसरा नम्बर 139, 271/139 में से प्रतिवादी 1 से 5 का नाम हटाया जावे तो उन्हे किसी प्रकार का ऐतराज नही है, खसरा नम्बर 141 141 जो प्रतिवादीगण के बंट में है उसमें उनका नाम हट गया है खसरा नम्बर 141 की भूमि 1.28 हैक्टर जो वादीगण के कब्जे में थी वह आज भी उनकी है, उपरोक्त भूमि में से प्रतिवादी 1 से 5 का नाम हटाया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है।

उभय पक्षकारान अधिवक्तओ की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया, प्रश्नगत भूमि वादी एव प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के पिता/दादा गोपाल पुत्र बगसा बलाई के नाम दर्ज चली आई है, जिसका पक्षकारान में बंटवारा कर अपने अपने हिस्से की भूमि पर बा जोत करते आये है, इस न्यायालय में पूर्व में प्रस्तुत राजस्व वाद सं. 44/2017 ईश्वरराम बनाम पेमाराम वगैरह में उपरोक्त खसरा नम्ब 139, 271/139 टंकण होने से छूट गये जिनका बंटवारा नही हो सका, जमाबंदी नकल सम्वत 2010–2013 ग्राम मांगालोदी के गत खसरा नम्बर 27, 31, 61, 35, 56, 58, 27/1 कुल रकबा 141 बीघा 11 बिस्वा में गोपाल पुत्र बगसा बलाई 1/4 हीरा पुत्र दाना जाट 1/4 भैरू पुत्र नाथू बावरी 1/4 माना पुत्र मुला बलाई 1/4 सा. देह खातेदार दर्ज है, इस अनुसार इन्द्राज सम्वत 2029 तक लगातार दर्ज रहे है, तत्पश्चात गोपाल का इंतकाल होने पर शिवकरण नाथूराम गोरधन नारायण पि. गोरधन 1/4 पेमाराम मोतीराम पि. हीराराम जाट 1/4 भैरूराम [illegible] बावरी 1/4 नानुराम पुत्र मुलाराम बलाई 1/4 सा. देह खातेदार दर्ज हुआ उक्त प्रविष्टि सम्वत 2040 तक दर्ज रही नामान्तरकरण सं. 100 एवं 101 के द्वारा संयुक्त खाते[illegible] सम्वत 2071–2074 मे पेमा मोती पि. हीरा नारायण बोदू पि. घीसा जाति जाट हि. 1.50 हैक्टर शिवकरण नाथू गोरधन नारायण पि. गोपाल जाति मेघवंशी हि. 4.08 हैक्टर सा. देह खा[illegible]र राहिन नारायण का हि. ज.थार ग्रा.बैंक शाखा मीठड़ी मूर्तहीन, नामा 282 नि.दि. 14.8.2014 अन्य शुद्वि आदेश के द्वारा बोदूराम पुत्र घीसाराम के स्थान पर अर्जुनराम पुत्र घासीराम का नाम दर्ज किया गया, नामा.सं. 320 नि.दि. 7.9.2015 विरासत के द्वारा शिवकरण नाथू पि. गोपाल फौत होने से इनके वारिसान ईश्वरराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 13:21:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

हरिराम राजूराम मेघादेवी पत्नी नाथूराम सुगनादेवी छोटीदेवी कमला राधा पुत्रिया नाथूरा का नाम दर्ज किया गया, नामा.सी. 330 दिनॉक 20.4.2016 हक त्याग से सुवटी पत्नी शिवकरण मेघवंशी के हक त्याग के स्थान पर हरिराम राजूराम पूर्णमल ईश्वरराम पि. नाथूराम मेगवंशी का नाम स्वीकार, शेष खाता बदस्तूर, जमाबंदी नकल सम्वत 2075–2078 ग्राम मांगलोदी के खसरा नम्बर 140 141 179 180 180 में से वादीगण का नाम हट गया तथा खसरा नम्बर 139, 271/139 में से प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 का नाम दर्ज चला आ रहा है जिसे हटाया जाना है, चूँकि वरवक्त उक्त खसरा नम्बर 139 271/139 टंकण होने से रह गया था। उपरोक्त खसरान मे से वादीगण के परिवार सदस्यों ने इकबाली जवाब प्रस्तुत कर उक्त तथ्यों को स्वीकार करते हुए खसरा नम्बर 139, 271/139 में से नाम हटाये जाने का कथन किया है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 5 के परिवार की कुल भूमि का बंटवारा इनके मध्य आपसी सहमति राजीनामा से होकर अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है, कुल भूमि 36 बीघा 8 बिस्वा में शिवकरण नाथू गोरधन नारायणराम पि. गोपालराम के नाम दर्ज चली आई है, जिसमें परिवार के सदस्यो का बराबर हिस्सा चला आया है शिवकरण नाऔलाद फौत होने पर परिवार के अन्य सदस्यों के नाम भूमि दर्ज हुई जिसमें वादीगण के हक हिस्से में 14 बीघा 7 बिस्वा भूमि लगभग है जिसमें खसरा नम्बर 141 मे से 1.28 हैक्टर पूर्व वाद निर्णय के समय हिस्से में आई तथा वर्तमान खसरा नम्बर 139, 271/139 रकबा 1.04 हैक्टर पर भी वादीगण का कब्जा काश्त मे है जिसके लिए प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 परिवार के सदस्यो ने इकबाली जवाब प्रस्तुत कर सहमति प्रदान कर दी है, उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि से साबित है कि प्रश्नगत भूमि पैतृक दर्ज चली आई है जिसकी पुष्टि जमाबंदी नकल सम्वत 2010 से 2044 तक से साबित है एवं प्रस्तुत इकबाली जवाब दावा इत्यादि से वाद वादीगण काबिल डिक्री योग्य पाया जाने से वाद वादीगण डिक्री किया जाता है।

आदेश

ग्राम मांगलोदी तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 139 रकबा 1.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 271/139 रकबा 0.01 हैक्टर कुल रकबा 1.04 हैक्टर में प्रतिवादीगण 1 से 5 का नाम हटाया जाता है तथा वादीगण को ब–हिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है, डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल रहे, तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनॉक 6/3/2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 13:21:43 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : बाबुलाल जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 97/2019 **RCMS 2019/00172**

वादीगण

1. गोरधन पुत्र गोपालराम जाति मेघवंशी उम्र 60 साल निवासी मांगलोदी तहसील कुचामनसिटी
2. नारायण पुत्र गोपालराम जाति मेघवंशी उम्र 58 साल निवासी मांगलोदी तहसील कुचामनसिटी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. ईश्वरराम पुत्र नाथूराम
2. पूर्णमल पुत्र नाथूराम
3. मेगादेवी पत्नी नाथूराम
4. राजूराम पुत्र नाथूराम
5. हरिराम पुत्र नाथूराम समस्त जाति मेघवंशी निवासी मांगलोदी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
6. उप पंजीयक कुचामनसिटी
7. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी

दावा इस्तकरार हक व भू–विभाजन स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88 R.T.Act1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री भीकमचन्द अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **ग्राम मांगलोदी तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 139 रकबा 1.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 271/139 रकबा 0.01 हैक्टर कुल रकबा 1.04 हैक्टर में प्रतिवादीगण 1 से 5 का नाम हटाया जाता है तथा वादीगण को ब–हिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है, डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल रहे, तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।**

निज .... मुबलिग .... बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक ...6.... माह ....3.......... सन्...2020..... को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
ओहदा कुचामन सिटी (नागौर) (मुहर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्[illegible]		
स्टाम्प वजह सबूत			[illegible]ना व[illegible]		
महन्ताना वकिल			खर्चा [illegible]		
खर्चा गवाहन			फि[illegible]र		
फिस कमिश्नर			बबत [illegible]य हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरि[illegible]		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 13:21:43 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2020.03.14 11:49:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: